न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 72 / 2020

यूको बैंक,
शाखा –श्रीनगर रोड,
अजमेर।

.........प्रार्थी

बनाम

(1) श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री मिश्री लाल अग्रवाल
(2) श्री महेन्द्र बंसल पुत्र श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल
(3) श्री विनोद बंसल पुत्र श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल
(4) श्रीमती सरोज पत्नी श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल
(5) श्रीमती अंजू पत्नी श्री महेन्द्र बंसल
पता:– मकान नं0 203, हरिभाऊ उपाध्याय नगर मैन, अजमेर– 305001

........अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री संदीप गोयल अधिकृत प्रतिनिधि

दिनाक 23.03.2020

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्री
द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री मिश्री लाल अग्रवाल एवं श्री महेन्द्र बंसल पुत्र श्री द्वारका
प्रसाद अग्रवाल, निवासी:– मकान नं0 203, हरिभाऊ उपाध्याय नगर मैन, अजमेर–
305001 को दिनांक 23.07.2009 को रु 12,00,000 / – (अक्षरे बारह लाख मात्र) एवं 21
12.2011 को 5,48,000 / – (अक्षरे पांच लाख अडतालीस हजार मात्र) कुल ऋण रु.
17,48,000 / – (अक्षरे सतरह लाख अडतालीस हजार मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की
थी। इस हेतु अप्रार्थीगण / ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर हरिभाऊ
उपाध्याय नगर मैन, अजमेर स्थित रिहायशी मकान प्लॉट नं0 203, क्षेत्रफल 209.82 वर्ग
गज, जो श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री मिश्री लाल अग्रवाल के नाम से है, जिसकी
चतुर्थ सीमाएं:– पूर्व :–यूआइटी प्लॉटस, पश्चिम:–रोड 12 मीटर चौडा उत्तर:–प्लॉट नं0
202, दक्षिण:–प्लॉट नं0 204, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था।
अप्रार्थीगण नियमित रुप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और
बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.01.2017 को
डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत
अप्रार्थीगण / ऋणी को दिनांक 08.01.2020 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 11,69,477
28 / –(अक्षरे ग्यारह लाख उनहत्तर हजार चार सौ सतहत्तर एवं पैसे अटाईस मात्र)
4,19,018 / –(अक्षरे चार लाख उन्नीस हजार अठारह मात्र) कुल ऋण 15,88,495
28 / –(अक्षरे पन्द्रह लाख अट्ठायासी हजार चार सौ पिच्यानवे एव पैसे अटाईस मात्र)
जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने
चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही सम्भला

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(हस्ताक्षर)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद सम्भलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति, हरिभाऊ उपाध्याय नगर मैन, अजमेर स्थित रिहायशी मकान प्लॉट नं0 203, क्षेत्रफल 209.82 वर्ग गज, जो श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री मिश्री लाल अग्रवाल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं:- पूर्व :-यूआईटी प्लॉटस, पश्चिम:-रोड 12 मीटर चौडा, उत्तर:-प्लॉट नं0 202, दक्षिण:-प्लॉट नं0 204, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 23.03.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर